

दिनांक 21/7/18 को पेश करें।

आज्ञा से  
रीडर

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) गुलाबपुरा

पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित।  
आज P.O. सा. 13/6/2018 को पेश करें।  
पधारने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 21/7/18 को पेश करें।

आज्ञा से  
रीडर

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) गुलाबपुरा

13/6/2018




पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट डोजडी पर पेश हुई। वादीया श्रीमति समता बैरवा व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिवादीया की ओर से श्रीमति निर्मला जैन ने उपस्थित होकर पार्वर व प्रतिवादी सं०-1 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया जो प्रामाणिक पत्रावली रहे।

वादीया श्रीमति समता बैरवा के द्वारा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथने किया कि हम पक्षकार आपसी सहमति से भूमि का बंटे मंडा करवाना चाहते है, इसलिए इस प्रकरण की कार्यवाही बन्द फरमाई जावे। मेरे दासिया को सुना। उनके द्वारा आपसी सहमति से भूमि का बंटे मंडा तहसील से करवाना व इस प्रकरण की कार्यवाही बन्द करवाना मेरे समक्ष जाहिर करने से इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दांडील दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 13/6/2018 को डाली लोक अदालत कैम्प कोर्ट डोजडी पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) गुलाबपुरा  
जिला-भीलवाड़ा

4-18

निश्चयता



सेवाने,

श्रीम

वाद

श्रीमति समता

-- वादीया

जवाब

मान्यवरजी,

बैरवा उम्र बा

से जवाब पेश क

1- यह कि

की शामलाती

होकर उत्वीकार

2- यह कि व

मध्य लगान जमा

कदरलिगीगी ग

3- यह कि वा

4- छठि त

होकार नही है

कनापकनाहे।

4- यह कि वा

है मानिक एक हिर

है तथा कनापकना